

# कार्यालय नगर पंचायत मझौलीराज, देवरिया।

पत्रांक-  
213-

न0पं0मझौलीराज/2017-2018

दिनांक-23-3-2018

## आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत मझौलीराज का वर्ष 2018-19 का टैक्सी स्टैण्ड आदि की निलामी दिनांक 27.03.2018 को होनी थी, एवं अमर उजाला व राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित किया गया था। जिसे अध्यक्ष नगर पंचायत मझौलीराज द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि को निरस्त किया जाता है।

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया।
3. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
4. उपजिलाधिकारी, सलेमपुर।
5. उप पुलिस अधीक्षक, सलेमपुर।
6. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सलेमपुर।
7. तहसीलदार, सलेमपुर।
8. रामस्त अध्यक्ष नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद-देवरिया।
9. सम्पादक, सुप्रभात को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में संलग्न सूचना का प्रकाशन कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
10. NIC.in देवरिया पर अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

(रामदुलार यादव) 23/3/18  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत मझौलीराज,  
देवरिया।

गौरीशंकर  
(गौरीशंकर गुप्ता) 23/3/18  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत मझौलीराज  
देवरिया।

# कार्यालय नगर पंचायत मझौलीराज, देवरिया।

पत्रांक- न0प0मझौलीराज / 2017-2018

दिनांक- 19-3-2018

204(10)

## सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 (01.04.2018 से 31.03.2019) तक के लिये नगर पंचायत मझौलीराज के टैक्सी / टेम्पो स्टैंड से पार्किंग शुल्क आदि की वसूली के लिये सार्वजनिक एवं खुली बोली के रूप में नीलामी अधीनस्थानकारी द्वारा दिनांक 27.03.2018 को 11.00 बजे नगर पंचायत कार्यालय पर की जायेगी। बोली बोलने वाले को अद्यतन चरित्र प्रमाण- पत्र तथा हैसियत प्रमाण - पत्र एवं जमानत धनराशि जमा करने के बाद ही बोली में भाग लेने दिया जायेगा। तथा किसी भी बकायेदार को बोली में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। नीलामी बोली निर्णित होने पर बोली की धनराशि का 50% तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य सूचना/शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस से प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी कारणवश दिनांक 27.03.2018 का नीलामी उल्लिखित मदों में से किसी मद का निर्णित नहीं हो पाता है तो अधीनस्थानकारी द्वारा दिनांक 28.03.18 को 11.00 बजे से की जायेगी। नीलामी से संबंधित नियम/शर्तों की जानकारी नगर पंचायत मझौलीराज कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है, नीलामी सूचना [www.deoria.nic.in](http://www.deoria.nic.in) पर देखा सकता है।

### नीलामी का विवरण

क्र0सं0	मद का नाम	जमानत की धनराशि
01	टैक्सी स्टैंड (पार्किंग शुल्क)	100000
02	सबजी मण्डों	5000
03	बकरा दध	5000

नोट-टैकेदार द्वारा मझौलीराज के टेम्पो मालिक/चालक द्वारा नगर पंचायत में जमा धनराशि का रसीद देता है तो उनसे वसूली नहीं की जाएगी। जिनके द्वारा रसीद नहीं दिया जा रहा है उनसे वसूली की जायेगी।

(रामदुलार यादव)  
अधिशारी अधिकारी  
नगर पंचायत मझौलीराज,  
देवरिया।

(गौरीशंकर गुप्ता)  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत मझौलीराज  
देवरिया।

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया।
3. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
4. उपजिलाधिकारी, सलेमपुर।
5. उप पुलिस अधीक्षक, सलेमपुर।
6. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सलेमपुर।
7. राइसीलदार, सलेमपुर।
8. समस्त अध्यक्ष नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद-देवरिया।
9. सम्पादक राजेश्वर शर्मा / नगर उ-जाला को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अंगले अंक में संलग्न सूचना का प्रकाशन कर बिल के प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
10. NIC.in देवरिया पर अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।

(रामदुलार यादव)  
अधिशारी अधिकारी  
नगर पंचायत मझौलीराज,  
देवरिया।

(गौरीशंकर गुप्ता)  
अध्यक्ष  
नगर पंचायत मझौलीराज  
देवरिया।